गणपत V/s विमला

23/5/25 अधिवक्ता अपीलांट उप०
पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे है पेशी बदलवा होकर दिनांक 25/7/25 को पेश हो
[illegible]
रीडर

25/7/25 अधिवक्ता अपीलांट उप०
अधिवक्ता अपीलांट रेस्पो. के Regd AD सम्मन पेश करें। पत्रावली दि० 8/10/25 को पेश हो

8/10/25 अधिवक्ता अपीलांट उप०
अधिवक्ता अपीलांट पूर्वादेशों की पालना करे। पत्रावली दि० 13/1/26 को पेश हो

13/1/26 अधिवक्ता अपीलाण्ट उप०। अधिवक्ता अपीलाण्ट पूर्वादेशों की पालना करे। पत्रावली दिनांक 16/3/26 को पेश हो।

16/3/26 आज अधिवक्ता संघ द्वारा... कार्य स्थगित ..... किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे। अतः पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते... तब.बी.... दिनांक 20/5/26 को पेश हो।

20/5/26 अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांट अनु.।
अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांट को न्यायालय समय में बाद =2 कर आवाज लगवाई गयी। बावजूद न्यायालय में कोई उप. नहीं हुआ। अतः उक्त अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

# फर्द अहकाम

## (नियम–26)

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**गणपत बनाम विमला**

किस्म मुकदमा ......225.आर.टी.एक्ट............... मुकदमा नंबर.........17..............सन.........2025..................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2024 बउनवान विमला बनाम धुड़ाराम में पारित आदेश दिनांक 26.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.2025 को पेश हो। | |
| 14.02.2025 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पैश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट अपीलांट को बेदखल करने हेतु आमादा है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेर अपील आदेश की पालना व प्रभाव का स्थगित फरमाया जावे।<br>हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका, अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किएं बिना हमारा विनम्र मत है कि हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति के बिंदु प्रथमदृष्टया अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होते हैं तथा रेस्पोंडेंट्स को सुने बिना इस स्तर पर किसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित किया जाना आवश्यक व विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता अपीलांट रेंस्पोंडेंट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सम्मन–तलबाना भरकर पेश करें। पत्रावली आयंदा दिनांक 18.03.2025 को पेश हों। | |
| 18/03/25 | अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट पूर्वादेश की पालना करें। ~~अधीनस्थ~~ पत्रावली दिनांक 23/5/25 को पेश हो। | |